LSD / महत्वपूर्ण

संख्या–1893 / सैंतीस–2–2022–1(5) / 2022

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 21 सितम्बर, 2022

विषय–लम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम हेतु नगर निगम से 10 कि0मी0 क्षेत्र में तथा नगर पलिका व नगर पंचायत (जिला मुख्यालय) के 05 कि0मी0 परिधि में टीकाकरण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सीमावर्ती राज्यों राजस्थान, हरियाणा आदि से प्रदेश के पश्चिमी 25 जनपदों में Lumpy Skin Disease (LSD) का गोवंश में संक्रमण हुआ है। यह एक विषाणुजनित रोग है। इसका प्रसार प्रभावित पशुओं से वेक्टर आदि के माध्यम से अन्य पशुओं में होता है। LSD संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा उपचार हेतु भारत सरकार के पशुपालन एवं दुग्धशाला विभाग द्वारा निर्गत गाइडलाइन के कम में पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1593 / सैंतीस–2–2022, दिनांक 23.08.2022 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–1593 / सैंतीस–2–2022 दिनांक 23.08.2022 द्वारा आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद व बरेली मण्डलों में एल0एस0डी0 के प्रसार को रोकने हेतु उक्त मण्डल के जनपदों में प्रभावित क्षेत्रों को रिंग वैक्सीनेशन में टीकाकरण किये जाने के निर्देश दिए गए थे। शासनादेश संख्या–1788 / सैंतीस–2–2022 दिनांक 10.09.22 द्वारा लखनऊ, कानपुर, झांसी व चित्रकूट मण्डलों के 17 जनपदों में एल0एस0डी0 टीकाकरण कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। अग्रेतर शासनादेश संख्या–1834 / सैंतीस–2–2022 दिनांक 15.09.2022 द्वारा प्रदेश के 12 चयनित जनपदों में संचालित गो आश्रय स्थलों एवं गोशालाओं में संरक्षित गोवंशों में टीकाकरण कराने के निर्देश निर्गत किये गये।

3– प्रदेश के अन्य जनपदों में LSD संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त

नगर निगमों के 10 कि0मी0 की परिधि में तथा नगर पालिका व नगर पंचायत (जिला मुख्यालय) के 05 कि0मी0 परिधि में सघन टीकाकरण कराया जाय।

4— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
Date: 20-09-2022 17:48:54

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या–1893(1)/सैंतीस–2–2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।